न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या :09/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री राजेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री देदाराम निवासी महावीर नगर, सांगरिया फांटा, पुलिस थाना बासनी, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री थानाराम विश्नोई उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15.07.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री देदाराम महावीर नगर, सांगरिया फांटा, पुलिस थाना बासनी, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 01 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो), एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री को राज्यसात करने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर को पेश किया। श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा यह प्रकरण दिनांक 07.11.2022 को सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया जिसको दिनांक 21.11.2022 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2022 को बासनी थाने से प्राप्त सूचना प्राप्त हुई की कोई व्यक्ति अवैध गैस सिलेण्डर से रिफलिंग कर रहा है। जिला रसद अधिकारी के मौखिक आदेश पर बासनी थाने पहुँचे। थाने में उपस्थित उपनिरीक्षक ने बताया कि सांगरिया महावीर नगर भवानी [illegible] किराणा स्टोर में अवैध रूप से गैस रिफलिंग की सूचना मिली। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:09:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पर अपना नाम राजेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री देदाराम प्रजापत उम्र 48 वर्ष जाति प्रजापत निवासी महावीर नगर, सांगरिया फांटा पुलिस थाना बासनी जोधपुर बताया तथा कि एल.पी.जी. गैस के घरेलु गैस सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने तथा टैक्सी व वाहनों में एल.पी.जी. गैस भरने का काम करता हूँ। अप्रार्थी के पास पायी गयी सामग्री का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	सिलेण्डर क्रमांक	सिलेण्डर का प्रकार	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन (किलो में)	सिलेण्डर का वजन (किलो में)	शुद्ध गैस का वजन (किलो में)
1.	287407 (T)	घरेलू	एच.पी.	15.8	22.8	7.0
2.	1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो)			3.7	3.7	शून्य
एक इलेक्ट्रॉनिक क्रांटा, गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री						

इस प्रकार अवैध रूप से रिफलिंग करते हुए पाये जाने पर उक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री को जब्त सरकार किया जाकर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जियाराम जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी घाणामगरा बिलाड़ा (हाल गोदाम कीपर, किसान गैस सर्विस जोधपुर) को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार मौके पर अप्रार्थी द्वारा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री से अवैध रूप से रिफलिंग करने हुए पाये गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1) (b) (c) व 4(a) 7 एवं सपठित धारा द्रवित पेट्रोलियम वितरण एवं प्रदाय नियंत्रण आदेश 2001 की धारा 2(ड.) (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब पेश किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी को आपका नोटिस मिला जिसके अनुसार अप्रार्थी को दोषी पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना की है कि यह मेरा प्रथम अपराध है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्य नजर रखते हुए न्यायोचित आदेश हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी के विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी को 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री से अवैध रूप से रिफलिंग करने हुए पाये गया। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:09:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

स्थिति में अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1) (b) (c) व 4(a) 7 एवं सपठित धारा द्रवित पेट्रोलियम वितरण एवं प्रदाय नियंत्रण आदेश 2001 की धारा 2(ड.) (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसके कारण जब्त उक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री थानाराम विश्नोई ने प्रकरण में प्रस्तुत अपने लिखित जवाब को ही अपनी बहस मानते हुए अप्रार्थी ने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थना की है कि यह मेरा प्रथम अपराध है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्य नजर रखते हुए न्यायोचित आदेश हेतु निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस व अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत लिखित जवाब पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी को 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री द्वारा अवैध रूप से रिफलिंग करने हुए पाये गया। अप्रार्थी ने द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1) (b) (c) व 4(a) 7 एवं सपठित धारा द्रवित पेट्रोलियम वितरण एवं प्रदाय नियंत्रण आदेश 2001 की धारा 2(ड.) (2) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 छोटा गैस सिलेण्डर (5 किलो) एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस भरने की पम्प मोटर व अन्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:09:43 IST
Reason: SelfAttested